फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री ललित बारोलिया निवासी रेगरों का मोहल्ला, मोखुण्डा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।
— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 65/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 12.08.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट से जरिये पत्र क्रमांक :– सूचना का अधिकार/2025/311 दिनांक 11.08.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.06.2025 ऑनलाईन आवेदन संख्या 244092487 207256 प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नही होकर पुलिस थाना आमेट से सम्बन्धित है जिससे पुलिस थाना आमेट को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सूचना का अधिकार/2025/271 दिनांक 03.07.2025 को मूल ही आवेदन भेजा गया तथा प्रार्थी को सूचना RTI Portal पर ऑनलाईन एवं जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी गयी। पुलिस थाना आमेट द्वारा दिनांक 30.07.2025 को जवाब प्रस्तुत किया गया। अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि अपील का जवाब स्वीकार करते हुये अपील निरस्त कराने का श्रम करावें। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना का संबंध पुलिस थाना आमेट से होने के कारण कार्यालय के पत्र क्रमांक सूचना का अधिकार/2025/271 दिनांक 03.07.2025 से मूल आवेदन पुलिस थाना आमेट को भेजा गया तथा प्रार्थी को उक्त संबंध में सूचना जरिये RTI Portal पर ऑनलाईन एवं जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया गया। अतः लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को सूचित किये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमंद